

सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (बी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक : 28 मार्च, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : लोक सेवकों द्वारा लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन परिसंपत्तियों और देनदारियों की घोषणा - लोक सेवकों द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को या इससे पूर्व संपत्ति विवरणी दाखिल करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 11 अक्टूबर, 2015 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा यह सूचित किया गया था कि लोक सेवकों द्वारा लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन परिसंपत्तियों और देनदारियों के संबंध में सूचना प्रदान करने की अंतिम तारीख दिनांक 15.04.2016 तक बढ़ा दी गई है।

2. इस संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि उपरोक्त अंतिम तारीख अर्थात् दिनांक 15.04.2016 को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

3. इन विवरणियों को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष दाखिल करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रपत्र पहले ही दिनांक 18.03.2015 के का.जा. के पैरा-3 द्वारा सभी संबंधितों की जानकारी में लाए जा चुके हैं। तथापि, सुलभ संदर्भ के लिए उक्त कार्यालय ज्ञापन की प्रति संलग्न है।

4. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि :-


- i. लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अधीन दिनांक 01 अगस्त, 2014 को पहली विवरणी, 15 अप्रैल, 2016 या इससे पूर्व दाखिल की जानी चाहिए।
- ii. लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2015 को अगली विवरणी, 15 अप्रैल, 2016 या इससे पूर्व दाखिल की जानी चाहिए।
- iii. लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अधीन दिनांक 31 मार्च, 2016 को वार्षिक विवरणी, 31 जुलाई, 2016 या इससे पूर्व दाखिल की जानी चाहिए।

जि 27 बर 31

iv. इसके बाद के वर्षों की 31 मार्च को वार्षिक विवरणी, उस वर्ष की 31 जुलाई या इससे पूर्व दाखिल की जानी चाहिए।

5. सभी मंत्रालयों/विभागों और संवर्ग प्राधिकरणों को संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठनों/उनके नियंत्रणाधीन पीएसयू के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उपरोक्त समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए जाने का अनुरोध किया जाता है। इस कार्यालय ज्ञापन का संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन/पीएसयू की वेबसाइट पर प्रकाशन किया जाए तथा इसका व्यापक प्रचार किया जाए।

संलग्नक:- उपरोक्त


(जिश्नु बरुआ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:23093591

सेवा में,

1. सचिव

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक प्रेषण सूची के अनुसार)

2. मुख्य सचिव

सभी राज्य सरकारें/ प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र (मानक प्रेषण सूची के अनुसार)
{अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सूचनार्थ इस का.ज्ञा. को राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन की वेबसाइट पर भी डालने का अनुरोध किया जाता है}

समान कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए प्रति निम्नलिखित को अग्रेषित:-

- (i). महासचिव, लोक सभा
- (ii). महासचिव, राज्य सभा
- (iii). भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक
- (iv). सचिव, भारतीय निर्वाचन आयोग

No.407/12/2014-AVD-IV-B
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-110001.
Dated the 18.03.2015.

Office Memorandum

Subject : Declaration of Assets and Liabilities by public servants under section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 – Clarification regarding formats to be used for filing returns under the Act.

The undersigned is directed to refer to this Department's DO letter of even No. dated 29th December, 2014 and the O.M. of even No. dated 13th January, 2015 regarding furnishing of information relating to assets and liabilities by public servants under section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, forwarding therewith copies of the Central Government's notifications dated 26th December, 2014 containing –

- (a) Amendment to the Lokpal & Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014, for the purpose of extending the time limit for carrying out necessary changes in the relevant rules relating to different services from "three hundred and sixty days" to "eighteen months" , from the date on which the Act came into force, i.e., 16th January, 2014; and
- (b) The Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Amendment Rules, 2014, extending the time limit for filing of revised returns (pl see proviso under sub- rule 2 of rule 3 of the principal rules) by all public servants from 31st December, 2014 to 30th April, 2015.

2. In this regard, it is clarified that :-

- (i) The first return (as on 1st August, 2014) under the Lokpal Act should be filed on or before the 30th April, 2015;
- (ii) The next annual return under the the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 for the year ending 31st March, 2015 should be filed on or before 31st July, 2015; and
- (iii) The annual return for subsequent years as on 31st March every year should be filed on or before 31st July of that year.

3. The following Assets & Liabilities Return forms (both in English and Hindi) are enclosed herewith as indicated below :-

A. Declaration to be filed with Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 31st March, 20..... (Under Sec 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.) [Appendix-I of the notification dated 14.07.2014].

B.

(a) FORM No. I - Details of Public Servant, his/ her spouse and dependent children[Appendix-II of the notification dated 14.07.2014].


(b) Modified FORM No. II - Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20...[Appendix-II of the notification dated 14.07.2014 as modified vide notification dated 26.12.2014].

(c) FORM NO. III - Statement of immovable property on first appointment or as on the 31st March, 20.... (e.g. Lands, House, Shops, Other Buildings, etc.) [Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children] [Appendix-II of the notification dated 14.07.2014].

(d) Modified FORM No. IV - Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20.....[Appendix-II of the notification dated 14.07.2014 as modified vide notification dated 26.12.2014].

4. It is requested to ensure that all officers and staff in your Ministry/Department/organizations file the said declarations/returns within the prescribed time-limits, in the afore-mentioned forms.

Enc:- As above.


(Jishnu Barua)
Joint Secretary(V-2)

1. Secretary

All Ministries/Departments of the Government of India
(as per standard mailing list)

2. The Chief Secretary

All State Governments/Administrators, UTs (as per standard mailing list)

Copy , with a request for similar action, forwarded to :

- (i) Secretary General, Lok Sabha
- (ii) Secretary General, Rajya Sabha
- (iii) Comptroller and Auditor General of India
- (iv) Secretary, Election Commission of India

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी
(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1. लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति
- (पदनाम, नाम और संगठन का पता)
- (ख) किस सेवा से संबंधित है (यदि लागू है)

घोषणा -

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन, मेरे द्वारा, प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररूप 1 से प्ररूप 4 मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है।

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें।

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसके स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी। विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 (2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत ब्यौरे सम्मिलित होंगे।

(धारा 44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को —

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं ;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में,

सूचना देगा।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो "कर्ता" या किसी सदस्य के रूप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसे ऐसे संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररूप सं 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहां कहीं आवश्यकता हो।

टिप्पण 3. "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोकसेवक पर आश्रित हैं। (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण

प्ररूप संख्या 1

लोकसेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों के ब्यारे

क्रम संख्या		नाम	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो	क्या विवरणी, उसके द्वारा पृथक रूप से फाइल की जाती है।
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित - 1			
4	आश्रित - 2			
5*	आश्रित - 3			

*और पंक्ति जोड़े, यदि आवश्यक हैं

तारीख

हस्ताक्षर.....

प्ररूप सं० 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण
(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें)

क्रम सं०	विवरण	टिप्पणियां, यदि कोई हों
(i)*	नकदी और बैंक में अतिशेष :	
(ii)**	बीमा (संदत्त प्रीमियम) :	
	नियत/आवर्ती जमा :	
	शेयर/बाँड :	
	पारस्परिक निधि (निधियां) :	
	पेंशन स्कीम/भविष्य निधि	
	अन्य विनिधान, यदि कोई हों :	
(iii)	किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति, दो मास का मूल वेतन या एक लाख रुपए से अधिक) :	
(iv)	मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदत्त रकम के ब्यौरे) :	
(v)	आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम ; चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम)]	
	सोना :	
	चांदी :	
	बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य रत्न :	
	मिश्रित मर्दें : (अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें)***	
(vi)	कोई अन्य आस्ति : [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दें] (क) फर्नीचर (ख) फिक्सचर (ग) प्राचीन वस्तुएं (घ) रंगचित्र (पेंटिंग) (ड) इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर (च) अन्य	

(किसी प्रवर्ग की बाबत ब्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग (अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रानिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या 1.00 लाख रुपए से अधिक हो)	
--	--

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

*विदेशी बैंक (बैंको) में जमाओं के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे ।

**2 लाख रुपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे । 2 लाख रुपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है ।

***पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त मद अर्जित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो ।";

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति का विवरण

(लोक सेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)

क्रम संख्या	संपत्ति का वर्णन, (भूमि/गृह/ फ्लैट/दुकान/औद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें अवस्थिति है और इसकी सुनिश्चित संख्या आदि)	भूमि का क्षेत्र (भूमि के मवनों के मामलों में)	भूमि संपत्ति के मामले में भूमि की प्रकृति	हित विस्तार	का	यदि लोक सेवक का नाम नहीं है तो किसके नाम धारित है, उल्लेख करें उससे लोक सेवक की नातेदारी, यदि कोई	अर्जन की तारीख	कैसे अर्जित की गई (क्या क्रय, बंधक, पट्टे, विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/ व्यक्तियों के ब्यारे सहित नाम जिनसे अर्जित की गई है (पता और संबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सेवक से संबंध, यदि कोई है) कृपया नीचे टिप्पण 1 देखें और अर्जन की लागत	संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए)	का संपत्ति का मूल्य ठीक न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए)	संपत्ति से कुल आय	टिप्पणियां
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12		

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण - 1. स्तंभ 9 के प्रयोजन के लिए, पट्टा "पट्टे" से वर्ष दर वर्ष से किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराए के लिए आरक्षित अवधि के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा अभिप्रेत होगा तथापि जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्य होता है जिसका सरकारी सेवक के साथ शासकीय संबंध है, ऐसे पट्टे की अवधि को चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए के संदाय की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए।

प्ररुप सं0 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वाँ का
विवरण

क्रम सं0	ऋणी (स्वयं/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	लेनदार का नाम और पता	ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकम	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 : उधारों की व्यष्टिक मदों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं है (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये है, सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण 2 : विवरण में बैंको, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसों) को सम्मिलित करना होगा ।